न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

. पीठासीन अधिकारी :— प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 3/2025 ई.रे. दिनांक 25.08.2025

1— भैरूसिंह पिता कजोड राजपूत निवासी बोहेडा, तहसील बडीसादडी

— प्रार्थी

बनाम

1— गोविन्दसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी बोहेडा ,
2— जयसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत निवासी बोहेडा
3— करणसिंह पिता राघुसिंह राजपूत निवासी बोहेडा
4— मिट्ठुकुवंर पिता राघुसिंह राजपूत निवारी बोहेडा
5— भवंरकुवंर पत्नि राघुसिंह राजपूत निवासी बोहेडा
6— किशनसिंह पिता मांगीलाल राजपूत निवासी बोहेडा
7— श्रीमति अंजनादेवी पत्नि महावीर कुमार लखारा निवासी बोहेडा
8— सत्यनारायण पिता भैरूलाल तेली निवासी बोहेडा
9— तहसीलदार बडीसादडी

—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थित— श्री डी.के. वैष्णव वकील प्रार्थी
श्री एम.एच. खान वकील विपक्षी 3 से 7

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. का इस आशय का पेश किया कि

1. खाता संख्या 1320 की आराजी न0 410 है0, लगानी 4.55 रूपया, आराजी न0 414 रकबा 0.0400 है0, लगानी 0.52 रूपया, आराजी न0 418 रकबा 0.1500 है0,लगानी 1.95 रूपया, आराजी न0 421 रकबा 0.1100 है0,लगानी 1.43 रूपया, आराजी न0 422 रकबा 0.2000 है0, लगानी 2.60 रूपया, आराजी न0 427 रकबा 0.2300 है0 लगानी 2.99 रूपया कुल किता 6 रकबा 1.0800 लगानी 14.04 रूपया वाके मौजा बोहेडा तहसील बडीसादडी में स्थित है।
2. यह कि खाता संख्या 107 की आराजी न0 373 रकबा 0.8000 है0,लगानी 10.40 रूपया, वाके मौजा बोहेडा तहसील बडीसादडी में स्थित है।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित आराजीयात प्रार्थी की पुश्तैनी पैतृक सम्पति की होकर प्रार्थी व विपक्षीगण के सयुंक्त खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है जिसका विधीवत बंटवाडा नहीं हुआ है तथा वादी का प्रार्थाना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजीयात में 1/2 हक हिस्सा है तथा प्रार्थाना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का 1/6 हक हिस्सा है तथा इसी हक हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड [illegible] बंटवाडा कराया जाकर प्रार्थी का हिस्सा अलग खातेदारी में दर्ज कराया जाकर विपक्षीगण [illegible] यथावत रखाया जावे।
4. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण [illegible] आराजीयात प्रार्थी व विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकोर्ड है जिसका विधीवत बंटवाडा [illegible] हुआ है तथा विपक्षीगण अच्छी किस्म की जमीन को अपनी होना बताकर आराजीयात को [illegible] हस्तान्तरीत करने पर अमादा है तथा मौके पर निर्माण कर मौके की स्थिती को परी[illegible] करने पर अमादा है इ[illegible] विपक्षीगण को

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:14:46 IST
Reason: SelfAttested

जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजरीयात को रहन बय बक्षीश कर हस्तान्तरीत नहीं करें न करावे न भूमि रूपान्तरण कराए बगैर निर्माण करें न करावें तथा प्रार्थी को अपने खातेदारी की आराजीयात पर शान्तिपूर्वक काबीज रहकर काश्त करने देवें।

5. यह कि प्रार्थी खातेदार काश्तकार है तथा आराजीयता शामलाती खातेदारी में दर्ज है जिससें प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया केस प्रमाणित है तथा सुवीधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात को बगैर विधीवत बंटवाडा कराए अच्छी किस्म की भुमि को विक्रय करने पर अमादा है जिससे अपुर्णिय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में तो प्रार्थी का वाद व प्रार्थना पत्र पेश करना निरर्थक हो जावेगा।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात को रहन, बक्षीश नहीं करे तथा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।
वकील विपक्षीगण की ओर से जवाब निम्न प्रकार पेश किया गया।

1. यह कि चरण सं. 1 में वर्णित अनुसार कृषि भूमि स्थित होना स्वीकार हैं जिसमें कमलाकुंवर पत्नी मोहनसिंह राजपुत सहखातेदार है एवं इन्हें पक्षकार मुकदमा ही नही बनाया गया हैं।
2. यह कि चरण सं. 2 में वर्णित अनुसार सं. 373 स्थित होना स्वीकार हैं। उक्त भूमि में विपक्षी सं. छह किशनसिंह का 1/2 हक हिस्सा निहित हैं। विपक्षी सं. तीन, चार पांच का जो हक हिस्सा उक्त भूमि में दर्ज था उसमें से 1/60 हक हिस्सा विपक्षीध श्रीमती मधुकुंवर व श्री हरिसिंह ने विपक्षीया अंजनादेवी को दिनांक 19–12–2024 को निष्पादित पजीकृत विक्रय विलख के जरिये विक्रय किया हैं जिसके उपरांत उक्त भूमि के 1/12 हक हिस्से की खातेदार विपक्षीया अंजनादेवी निर्मित हुई हैं।
3. यह कि प्रार्थाना पत्र की चरण सं. 3 वर्णित तथ्य असत्य होकर अस्वीकार हैं। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की पैतृक पुश्तैनी जायदाद हो, कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं हैं। प्रार्थी की आयु 85 वर्ष बताई गई है यदि प्रार्थी जन्म से उक्त भूमि पर काबिज होना बताया है तो पिछले 85 वर्षो मे उसे बटवाडा सम्बन्धी कोई परेशानी नही होना यह जाहिर करता है कि मौके पर अरसे कदीम से आपसी सहमति अनुसार पक्षकारान काबिज रहे है तथा आचरण में अपनाया हुआ हैं। जिस मौका स्थिती मे एवं आपसी बंटवाडे अनुसार पक्षकारान वर्षो से काबिज होकर अपने–अपने हक हिस्से मे लागत व संसाधन जोड चुके है उसमे परिवर्तन करना कतई उचित व न्यायसंगत नहीं हैं। बाई मिट्स एड बाउण्डस , गुवतत्ता, अनुसार बंटवाडे की मांग करना प्रार्थी की बदनीयती स्पष्ट करता हैं ताकि बंटवाडे का कृत्रिम आधार लेकर सहखातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से येन प्रकरण में पाबन्द कराया जाकर अपने अवैध हितो की पुर्ती की जा सके। मौके पर कब्जे अनुसार बंटवाडे को विपक्षीगण सहमत है तथा इस सम्बन्ध में काउन्टर क्लेम मुल वाद मे प्रस्तुत होगा।
4. यह कि चरण सं. चार में वर्णित तथ्य असत्य व आधारहीन होकर अस्वीकार हैं। चरणं सं. दो में वर्णित आराजीयात से जवाब प्रस्तुत कर्ता विपक्षीगण का कोई ताल्लुक नही हैं, जहां यत चरण सं. तीन में वर्णित भूमियों का प्रश्न है उक्त भूमि का पिछले 40–50 वर्षो से आपसी सहमती से मौके पर पक्षकारो में बटवाडा हो रखा है अलग पालिया पडी हुइ है तथा किसी खातेदार का दुसरे की भूमि में कोई हस्तक्षेप नही हैं। मौके पर कौन निर्माण कर रहा है किसने किसकी जमीन पर किस प्रकार का निर्माण कर दिया है या करने कर प्रयास किया है ऐसे अभिवचन ही नहीं हैं, ना कोई सबुत प्रस्तुत किया गया है, मात्र आरोप से कैसे माना जा सकता है कि मौके की स्थिती परिवर्तित की जा रही हैं। प्रार्थी भी सहखातेदार हैं तथा विपक्षीगण भी सहखातेदार है दोनो की प्रारिथती भिन्न–भिन्न नहीं है एवं जितने अधिकार प्रार्थी को प्राप्त है उतने ही विपक्षीगण को जिन्हे अकारण किसी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता हैं। प्रार्थी अपने हिस्से पर भलीभांति काबिज [illegible] कोई परेशानी नही हैं। सिर्फ विपक्षीगण की भूमि मे से होकर आने जाने का नाजायज परेशान क[illegible]त से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत गया हैं।
5. यह कि चरण सं. 5 में वर्णित तथ्य असत्य अस्वीकार [illegible] किस प्रकार प्रार्थी के पक्ष में हैं, यह वर्णित व जाहिर ही नहीं हैं। संयुक्त खातेदारी [illegible] भूमि होने से विपक्षीगण से सहखातेदारी से अधिकार सीमित कर इन्हें प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता है, प्रार्थी एक तरफ निर्माण का आरोप लगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:14:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

रहा है, दुसरी और विकय करने की भी झुठी संभावना लेकर अभिवचन कर रहे है जबकि विकय तो दिसम्बर 2024 मे ही हो चुका हैं। विपक्षीगण का अकारण अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से उन्हें तुलनात्मक अधिक क्षति कारित होगी क्योंकि मौके पर कब्जे प बंटवाडे को लेकर कोई विवाद वास्तविक तौर पर नहीं है सहखातेदार के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती हैं। स्थगन का नोट अभिलेख मे लगने का कृषक को विभिन्न सुविधाए प्राप्त करने मे कठिनाईयाँ रहती है अतः प्रार्थना खारिज योग्य हैं।

उभयपक्षो के तर्को के एवं बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>
पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण अपना प्रार्थना पत्र दस्तावेजों के एवं अभिवचनों के आधार पर साबित करने में असफल रहा है इसलिये अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना नही पाया जाता है। अतः प्रथम दृष्टया मामले का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में सफल रहा है।

अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मौजा बोहेड़ा पटवार हल्का बोहेड़ा की आराजी नं. 410, 414, 418, 421, 422, 427 कुल किता 6 रकबा 1.0800 हैक्ट. तथा आराजी नं. 373 रकबा 0.8000 हैक्ट. भूमि पर विपक्षीगण को पाबंद किया जाता है कि वे मूल वाद के निस्तारण तक उक्त आराजीयात को रहन, बय, बक्षीश नहीं करें एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। यह आदेश आज दिनांक 25/08/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.11.19 10:14:46 IST
Reason: SelfAttested